क्रम-संख्या–389 (ख)

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, रविवार, 24 जुलाई, 1977
श्रावण 1, 1899 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग–1

संख्या 2181/सत्रह-वि0-1–58-1977
लखनऊ, 24 जुलाई, 1977

अधिसूचना
विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1977 पर दिनांक 24 जुलाई, 1977 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1977 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1977

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1977)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अट्ठाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1977 कहा जायगा।

(2) यह 24 अप्रैल, 1977 से प्रवृत्त समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1956 की धारा 4 का संशोधन

2-- उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 की धारा 4 में, वर्तमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिये जायेंगे, अर्थात्: -

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी को ऐसी शक्तियां जिसे वह विज्ञप्ति में निर्दिष्ट करे, आमोद-कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश को या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ-साथ अथवा उसे अपवर्जित करके प्रदत्त कर सकती है:

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जहां ऐसी कोई शक्ति डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और आमोद-कर आयुक्त दोनों द्वारा प्रयोज्य हो तो उनमें से प्रत्येक एक दूसरे को अपने द्वारा दिये गये समस्त आदेशों से सूचित करेगा, और उनमें से किसी विषय पर मतभेद होने की दशा में वह विषय राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।"

निरसन और अपवाद

3 - (1) उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1977 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8, 1977

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तद्नुरूप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

No. 2181 (2)/XVII-V-1-58-1977

Dated Lucknow, July 24, 1977

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Chal-Chitra (Viniyaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1977 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 7 of 1977) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 24, 1977.

THE UTTAR PRADESH CINEMAS (REGULATION) (AMENDMENT) ACT, 1977

[U. P. ACT NO. 7 OF 1977]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislative)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955

IT IS hereby enacted in the Twenty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) (Amendment) Act, 1977.

(2) It shall be deemed to have come into force on April 24, 1977.

Amendment of section 4 of U.P. Act no. 3 of 1956.

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955, *for* the existing proviso, the following provisos shall be *substituted*, namely:—

"Provided that the State Government may, by notification in the *Gazette*, confer upon the Entertainment Tax Commissioner, Uttar Pradesh, for the whole or any part of the State, such of the powers of the licensing authority under this Act, as it may specify in the notification, either concurrently with or to the exclusion of the District Magistrate:

Provided further that where any of such powers are exercisable concurrently by the District Magistrate and the Entertainment Tax Commissioner each of them shall keep the other informed of all orders passed by him, and in case of difference of opinion between them on any matter a reference shall be made to the State Government whose decision shall be final."

U.P. Ordinance no. 8 of 1977.

3. (1) The Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) (Amendment) Ordinance, 1977, is herby repealed. Repeal and savings.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the aforesaid Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव ।

पी०एस०यू०पी०--ए० पी० 350 राजपत्र--23-7-77--(1332)--1977--1,391 (मे०) ।